<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>19/07/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) (अब परिसमाप्त) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को 18.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एमआईएल और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 19.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा एमआईएल (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकों के संघ (कॉनसॉर्टियम) से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। एमआईएल और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि पुरुषोत्तम मंधाना ने कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और व्यक्तिगत लाभ के लिए बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने गुप्त मकसद से अपने कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी संस्थाओं को शामिल किया और ऋण निधि सहित एमआईएल के फंड की लेयरिंग करने के लिए ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया। बैंकों को धोखा देने के गलत इरादे से उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के साथ फर्जी बिक्री और खरीद की। उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत कर्जों का भुगतान करने के लिए ऋण निधि सहित एमआईएल के खातों से भी धन डायवर्ट किया है।

इससे पहले, इस मामले में दिनांक 26.06.2024 और 05.07.2024 को कई तलाशी अभियान चलाए गए, जिससे कई संपत्ति के दस्तावेज, बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस आदि सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इसके अलावा, लगभग 3 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लेक्सस, मर्सिडीज बेंज सहित महंगी कारें, रोलेक्स, हब्लोट सहित कई महंगी घड़ियाँ भी जब्त/फ्रीज कर दी गईं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।